-1V

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–2/निo–03/2024– 108(2) स्वाo, पटना, दिनांक 27/01/2025

बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सको द्वारा नियुक्ति के क्रम में दिये गये प्रथम योगदान अथवा द्वितीय योगदान के आधार पर विभाग में सेवा प्रारम्भ होने की तिथि माने जाने के संबध में नीतिगत विचार हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–1316(2), दिनांक–21.09.2024 द्वारा विभागीय स्तर पर चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उपर्युक्त विभागीय आदेश के आलोक में दिनांक–30.09.2024 को अपराह्न 05:00 बजे बैठक आहूत करते हुए समिति द्वारा मामले की समीक्षा की गई।

2 समीक्षा के क्रम में समिति द्वारा विचार किया गया कि पूर्व से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले चिकित्सकों के प्रथम योगदान की तिथि से तथा पूर्व से टेन्योर पद पर पदस्थापित चिकित्सकों के द्वितीय योगदान की तिथि से विभाग में सेवा प्रारम्भ होने की तिथि माना जाना परस्पर विरोधाभासी प्रतीत हो रहा है। अत. इन दोनों मामलो में एकरूपता लाया जाना आवश्यक है। तद्नुसार चिकित्सकों द्वारा दिये गये प्रथम योगदान अथवा द्वितीय योगदान के आधार पर विभाग में सेवा प्रारभ होने की तिथि माने जाने के संबंध में समिति द्वारा विभाग को अनुशंसा समर्पित किया गया।

3. समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सको द्वारा नियुक्ति के उपरान्त दिये गये प्रथम योगदान अथवा द्वितीय योगदान के आधार पर विभाग में सेवा प्रारम्भ होने की तिथि माने जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है –

i). नियुक्ति के समय पूर्व से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें चिकित्सकों के समरूप ही नियुक्ति के समय पूर्व से सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/जुनियर रेजिडेन्ट आदि टेन्योर पदों पर पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा समर्पित प्रथम योगदान की तिथि से ही विभाग मे इनकी भी सेवा प्रारभ होने की तिथि मानी जाएगी।

ii). विभागीय आदेश ज्ञापांक-- 886(2), दिनांक– 31.08.2020 तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधीन विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु 1 जवनरी 2020 एवं इसके पश्चात निर्गत चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधी सभी अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

iii). जिन मामलो में चिकित्सकों द्वारा समर्पित द्वितीय योगदन की तिथि से विभाग में सेवा प्रारम्भ मानते हुए अध्ययन अवकाश अथवा सेवा विनियमन किया गया है वैसे सभी मामलों को चिन्हित करते हुए संबंधित चिकित्सकों द्वारा समर्पित प्रथम योगदान की तिथि से विभाग में सेवा प्रारम्भ होने की तिथि मानते हुए पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश अथवा सेवा विनियमन को संशोधित किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

Des 2>Dhan>Draft>adesh21 Awadh

ज्ञापांक–2/नि०–03/2024–108(2)/स्वा०, पटना, दिनांक 22/01/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) वि T, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपिः–सचिव/सभी अपर सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–3, 9 एवं 18ए (प्रो०को०), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी उपाधीक्षक, अनुमडलीय अस्पताल, बिहार/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी सबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/1/25

सरकार के अपर सचिव।